न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 23.09.2025

मुकदमा नम्बर 97/2024

जीसीएमएस नम्बर 2024/209

किशोर कुमार शर्मा पुत्र फुसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी —

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़।
2. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीणं बैंक शाखा शेरूणा

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल सारस्वत अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी के खेत खाता संख्या 143 खसरा नम्बर 1050 तादादी 5.3000 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 578 तादादी 0.7500 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 579 तादादी 0.1800 हैक्टेयर गै. मु. सड़क व खसरा नम्बर 580 तादादी 2.4200 हैक्टेयर (बारानी 2.3600 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता 0.0600 हैक्टेयर) कुल खसरा 4 कुल तादादी 8.6500 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडुंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेतो पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का नाम किशोर कुमार है वादी के परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम किशोर कुमार शर्मा है वादी के आधार कार्ड में पेन कार्ड में जन आधार कार्ड में, व अन्य सरकारी दस्तावेजों में वादी का नाम किशोर कुमार शर्मा दर्ज चला आ रहा है वादी को गांव में व समाज में किशोर कुमार शर्मा के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है लेकिन वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम कोडाराम दर्ज चला आ रहा है । वादी को बचपन में परिवार में कोडाराम भी कहा जाता था इसलिये वादगत खेतो में विरारातन इंतकाल दर्ज करते समय भुलवंश वादी के बचपन का नाम कोडाराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया गया वादी का सरकारी दस्तावेजों में किशोर कुमार शर्मा नाम दर्ज चला आ रहा है लेकिन केवल वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम कोडाराम दर्ज चला आ रहा है जो गलत दर्ज चला आ रहा है वादी का सही नाम किशोर कुमार शर्मा है। वादी वादगत खेतों में कृषि ट्युबवैल बनाना चाहता है जिसके लिये वादी ने कृषि हेतू विधुत कनेक्शन लेने हेतू आवेदन करने के लिये वादी ने विधुत विधुत विभाग से माह अप्रैल 2024 में सम्पर्क किया तो विधुत विभाग द्वारा वादी को कहा गया कि आपके खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में आपके पहचान सम्बंधि दस्तावेजो के अनुसार नहीं है इसलिये आपका विधुत आवेदन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा पहले आप आपके खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम आपके पहचान सम्बंधी दस्तावेजों के अनुसार सही करके लाए तभी हम आपको विधुत कनेक्शन दे सकते है। व वादी वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नही कर सकता है। वादी ने दिनांक 02.05.2024 को वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम किशोर कुमार शर्मा दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने के लिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से निवेदन किया लेकिन तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आओ तभी हम आपके खेतो के राजस्व रिकॉर्ड मे आपका

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

सही नाम किशोर कुमार शर्मा दर्ज कर सकते हैं अन्यथा नही यही दावे का हेतू हैं दावे का आधार वादी का वादगत खेतो पर कब्जा काश्त व वादी वादगत खेतो का खातेदार होने से प्राप्त हैं। वादी का सही नाम किशोर कुमार हैं वादगत खेतो में वादी का सही नाम दर्ज करवाने के अलावा वादी के पास कोई चारा नही हैं व वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का सही नाम किशोर कुमार दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाना आवश्यक हैं। वादगत खेत बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शेरूणा के यहां रहन रखे हुये हैं इसलिये शाख प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शेरूणा को पक्षकार बनाया गया हैं शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शेरूणा से कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं। वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड का संधारण तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा किया जाता हैं इसलिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को पक्षकार बनाया गया हैं वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने का कार्य तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा ही किया जाना हैं। वादी को अपने वादगत खेतो में कृषि टयूबवैल तुरन्त बनाना हैं तुरन्त कृषि टयूबवैल नही बनाने से वादी को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा हैं वादी अपने कृषि भूमि का समुचित उपयोग नही कर पा रहा हैं इसलिये दावा तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हैं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के विरूद्ध दावा पेश करने के लिये धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं नोटिस मे समय लगेगा जिससे वादी को भारी आर्थिक नुकसान होगा इसलिये दावा तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हैं तथा वादगत खेतो में वादी के नाम में संशोधन होने से प्रतिवादी के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा फिर भी कानूनी प्रावधानो के मध्यनजर रखते हुये धारा 80 सी पी सी के तहत छूट का प्रार्थना पत्र दावा के साथ में प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति मे धारा 80 सी पी सी के नोटिस के अभाव दावा पेश करने के लिये धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर दावा प्रस्तुत करने कि अनुमति प्राप्त कर ली गयी हैं। वादगत खेत रोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है इसलिये यह दावा श्रीमानजी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का हैं जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश हैं। अतः दावा पेश कर निवेदन किया गया हैं कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे—

(क) यह घोषित किया जावे कि वादी का नाम किशोर कुमार हैं तदनुसार वादगत खेत खाता संख्या 143 खसरा नम्बर 1050 तादादी 5.3000 हैक्टेयर बारानी ब खसरा नम्बर 578 तादादी 0.7500 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 579 तादादी 0.1800 हैक्टेयर गै.मु.सड़क व खसरा नम्बर 580 तादादी 2.4200 हैक्टेयर (बारानी 2.3600 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता 0.0600 हैक्टेयर) कुल खसरा 4 कुल तादादी 8.6500 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडुंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम किशोर कुमार दर्ज किया जावे।

(ख) यह कि वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम किशोर कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

(ग) यह कि खर्चा दावा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे

(घ) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी में वादी का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी की ओर से दस्तावेज प्रर्दश करवायें गये। जिरह प्रतिवादीगण शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादीगण वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादगत खेत खाता संख्या 143 खसरा नम्बर 1050 तादादी 5.3000 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 578 तादादी 0.7500 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 579 तादादी 0.1800 हैक्टेयर गै.मु.सड़क व खसरा नम्बर 580 तादादी 2.4200 हैक्टेयर (बारानी 2.3600 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता 0.0600 हैक्टेयर) कुल खसरा 4 कुल तादादी 8.6500 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडुंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम कोडाराम के स्थान पर किशोर कुमार शर्मा घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:50 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम. डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

किशोर कुमार शर्मा पुत्र फुसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला वीकानेर।

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़।
2. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शेरूणा

मुकदमा नम्बर 97/2024

दावा बाबत खाता: घोष्णात्क, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 23.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरूं अदालत बहाजरी श्री बाबूलाल सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही एवं स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खाता संख्या 143 खसरा नम्बर 1050 तादादी 5.3000 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 578 तादादी 0.7500 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 579 तादादी 0.1800 हैक्टेयर गै.मु.सड़क व खसरा नम्बर 580 तादादी 2.4200 हैक्टेयर (बारानी 2.3600 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता 0.0600 हैक्टेयर) कुल खसरा 4 कुल तादादी 8.6500 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडुंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम कोडाराम के स्थान पर किशोर कुमार शर्मा घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड़ में अंकन करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.......बाबत.....0........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह..0..फीसदी सालाना आज को जारी.......तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह 09 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:50 IST
Reason: SelfAttested